बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
<u>अधिसूचना</u>

संचिका संख्या–8 / व०3–13 / 2017 पटना, दिनांक..........................

"बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा समय–समय पर यथासंशोधित को संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

" बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2017"

1. संक्षिप्त नियम, विस्तार एवं प्रारंभ :– (1) यह नियमावली **"बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2017"** कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के भाग VII के नियम 21 खंड (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"3 (i) सभी प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षावार, विषयवार अधिगम परिणाम तैयार करना।

(ii) परिभाषित अधिगम परिणामों को प्राप्त करने हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अमल में लाने के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(रॉबर्ट एल0 चोंग्थू)
सचिव

ज्ञापांक 1392 पटना, दिनांक :– 22/12/17

प्रतिलिपिः– श्री अनिल स्वरूप, सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक–16–3/2016 EE.17/EE.13 दिनांक–21.03.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक)/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

22.12.17
सचिव

E:\Neha kumari\Office Order Jun 2016.doc